बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

**संख्या :–** 17– नियोजन (भर्त्ती कोषांग)– 82/2020 10091 पटना, दिनांक :–30-06-2020

## आदेश

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम अंतर्गत विभिन्न पदों पर नवनियोजित पदाधिकारियों एवं कर्मियों के भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना में योगदान के संबंधित तिथि, समय एवं योगदान स्थल की जानकारी निदेशालय के वेबसाईट www.dlrs.bihar.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। इस क्रम में निम्न प्रकार से विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण अमीन एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक के योगदान हेतु तिथि निर्धारित किया गया है:–

| क्र0 सं0 | पद का नाम | निदेशालय में योगदान देने की तिथि | जिलों में योगदान करने की तिथि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 01. | विशेष सर्वेक्षण कानूनगो | 06.07.2020 से 07.07.2020 | 13.07.2020 | 08.07.2020 से 11.07.2020 तक पटना में व्यावहारिक प्रशिक्षण |
| 02. | विशेष सर्वेक्षण अमीन | 03.07.2020 से 04.07.2020 तथा 08.07.2020 से 27.07.2020 (प्रत्येक रविवार एवं 13.07.2020 एवं 14.07.2020 को छोड़कर) प्रत्येक दिन 300 अमीनों द्वारा निदेशालय में योगदान दिया जाएगा | निदेशालय में योगदान के पश्चात विभिन्न चरणों में विभिन्न जिलों में पदस्थापन किया जाएगा | — |
| 03. | विशेष सर्वेक्षण लिपिक | 13.07.2020 से 14.07.2020 | 15.07.2020 | — |

**नवचयनितों एवं सभी संबंधित के लिए निदेश** :– योगदान कार्यक्रम हेतु निम्न प्रकार से निदेश दिए जा रहे है, उसका अनुपालन सभी संबंधित द्वारा किया जाना अपेक्षित है:–

1. सभी नवचयनितों को E-mail/SMS के माध्यम से नियोजन पत्र एवं उसके साथ संलग्न Terms of Assignment, Joining Document Check List & Format of Affidavit उपलब्ध करायी गयी है। उक्त निदेश का अनुपालन करते हुए वांछित कागजातों के साथ सभी पदाधिकारी योगदान करेंगे।
2. वेबसाईट पर प्रकाशित Applicants Detail Form For Personnel Management System को डाउनलोड कर मांगे गए सूचना के साथ सभी योगदान करेंगे।
3. वेबसाईट पर प्रकाशित Joining Details में अंकित तिथि एवं समय पर निर्धारित हॉल के निर्धारण टेबल पर ही सभी योगदान करेंगे।
4. सभी नवचयनित निर्धारित तिथि एवं समय पर ही योगदान स्थल पर उपस्थित होना सुनश्चित करेंगे। निर्धारित समय से पूर्व योगदान स्थल पर भीड़–भाड लगाना सख्त मना है।
5. योगदान के दिन मात्र नवचयनितों को ही योगदान/परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।
6. सभी नवचयनित मास्क लगाए रहेंगे एवं सोशल डिस्टेशिंग का पालन करेंगे। उनसे Covid- 19 के बारे में सरकार द्वारा जारी प्रोटोकाल के अनुपालन की अपेक्षा की जाती है।
7. योगदान स्थल एवं परिसर पर नवचयनितों द्वारा साफ–सफाई का ख्याल रखा जायेगा। योगदान स्थल पर सैनेटाईजर एवं हैंड वाश का समय–समय पर उपयोग करेंगे तथा परिसर में किसी प्रकार की गन्दगी, अभद्रता अथवा दिए गए निदेशों का अनुपालन न कर अव्यवस्था फैलाने व भीड लगाने पर उन्हें परिसर से बाहर कर दिया जाएगा तथा उनका योगदान भी स्थगित कर दिया जाएगा।

8. योगदान स्थल पर प्रवेश के समय थर्मल स्कैनिंग करने वाले कर्मी के साथ सहयोग करेंगे। यदि थर्मल स्कैनिंग के क्रम में किसी को बुखार आदि पाया जायेगा तो उन्हें योगदान करने से वंचित करते हुए आवश्यक चिकित्सा हेतु निर्धारित अस्पताल जाने की सलाह दिये जाने पर इसका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
9. योगदान के पश्चात नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण कानूनगो को अगले दिन से क्षेत्र प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसके लिए उन्हें अगले कुछ दिनों के लिए पटना मुख्यालय में अपने व्यय पर रहना पड सकता है। अतः सभी नवनियोजित कर्मी योगदान के समय इस हेतु आवश्यक संसाधन के साथ तैयार होकर ही योगदान करेंगे ताकि उन्हें बाद में परेशानी न हो।
10. योगदान के पश्चात नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण अमीनों/विशेष सर्वेक्षण लिपिकों को जिलों में पदस्थापित करने की कार्रवाई की जाएगी, जो अमीनों के संदर्भ में विभिन्न चरणों में होगी। 2 से 5 दिन तक योगदान करने वाले विशेष सर्वेक्षण अमीनों को एक साथ अलग–अलग जिलों में पदस्थापन आदेश निर्गत होने के अगले दिन उनके द्वारा संबंधित जिलों में योगदान कराना सुनिश्चित किया जाएगा। योगदान करने एवं पदस्थापन होने की अवधि में इन कर्मियो को पटना मुख्यालय में अपने व्यय पर रहना पड़ सकता है। अतः सभी नवनियोजित कर्मी योगदान के समय इस हेतु आवश्यक संसाधन के साथ तैयार होकर ही योगदान करेंगे ताकि उन्हें बाद में परेशानी न हो।
11. सभी नवनियोजित कर्मी अपने आवासन एवं भोजन की व्यवस्था स्वयं करेंगे।
12. योगदान स्थल पर नवनियोजितों के लिए उनके स्वयं भुगतान के आधार पर जलपान, चाय, स्नेक्स आदि की व्यवस्था रहेगी।
13. नवचयनित कर्मियों में से महिला कर्मियों के लिए सर्वे प्रशिक्षण संस्थान के छात्रावास में सीमित संख्या में कमरें/बेड उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का प्रशिक्षण कार्यक्रम पटना में निर्धारित है। अतः जिन महिला विशेष सर्वेक्षण कानूनगो को प्रशिक्षण संस्थान के छात्रावास में उनके स्वयं भुगतान के आधार पर आवासन करने की इच्छा हो वे योगदान के निर्धारित तिथि से तीन दिन पूर्व ई–मेल के माध्यम से सूचित करेंगे ताकि पहले आओ– पहले पाओ के आधार पर छात्रावास में आवासन उपलब्ध कराया जा सके। छात्रावास में उनके स्वयं के भुगतान के आधार पर भोजन/जलपान की व्यवस्था रहेगी। उल्लेखनीय है कि किसी भी परिस्थिति में छात्रावास के कमरे में नवनियोजित कर्मी के अतिरिक्त उनके किसी परिजन आदि को रहने की अनुमति नहीं होगी।
14. नवचयनित कर्मियों के योगदान पश्चात प्रत्येक टेबल के द्वारा उन्हें योगदान स्थल/परिसर से जाने की अनुमति मिलने पर वे अविलंब परिसर खाली कर देंगे। इन कर्मियों को आगे के कार्यक्रम की सूचना वेबसाईट/ई–मेल के माध्यम से दे दी जायेगी।
15. नवचयनित विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के क्षेत्रीय व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु दिनांक–08.07.2020 से 11.07.2020 तक कार्यक्रम निर्धारित है। इन कर्मियों को 9/10 दलों में बांटकर प्रशिक्षण समन्वयक के साथ पटना जिले के फुलवारीशरीफ एवं संपतचक अंचल में प्रशिक्षण का कार्यक्रम तैयार किया गया है। प्रत्येक निर्धारित तिथि को बेली रोड स्थित जैविक उद्यान गेट नं0–1 से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के निर्धारित बस के द्वारा इन्हें संबंधित अंचलों को ले जाने एवं वापस आने की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण की समाप्ति पश्चात इन कर्मियों को संबंधित जिलों में पदस्थापन का कार्य किया जायेगा। क्षेत्रीय व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रशिक्षुओं को दोपहर का भोजन प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
16. निर्धारित तिथि को योगदान के समय नवनियोजित कर्मी निम्न कागजात अपने साथ लाना सुनिश्चित करेंगे एवं योगदान के समय निम्न प्रकार से अपने निर्धारित टेबुल पर निम्न कागजातों को उपलब्ध करायेंगेः–

(A) नवनियोजित कर्मी संबंधित टेबुल पर योगदान के समय निम्नलिखित का मूल कागजात एवं उसका स्वअभिप्रमाणित 2–2 छायाप्रति संबंधित टेबुल के कर्मी/सहायक संख्या–02 को उपलब्ध करायेंगे – (1) दसवी का प्रमाण पत्र (2) दसवीं का अंक पत्र (3) बारहवी का अंक पत्र (4) बारहवी का प्रमाण पत्र (5) डिप्लोमा का अंक पत्र (6) डिप्लोमा का प्रमाण पत्र (7) अनुभव प्रमाण पत्र (मात्र कानूनगो के लिए लागू) (8) जाति प्रमाण पत्र (जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया है, के लिए मात्र) (9) पेन कार्ड एवं (10) आधार कार्ड (11) विकलांगता प्रमाण पत्र (जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया है, के लिए मात्र) (12) स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र (जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया है, के लिए मात्र)। मूल प्रमाण पत्र से मिलान पश्चात उन्हें मूल प्रमाण पत्र वापस कर दिया जायेगा।

(B) इसके अतिरिक्त– (1) 3 पासपोर्ट साईज फोटो, (2) Terms of Assignment & Affidavit की मूल प्रति (3) Medical Fitteness प्रमाण पत्र की मूल प्रति (4) Relieving Letter from last organisation (मात्र कानूनगो के लिए लागू) की मूल प्रति (5) Original Voucher of Laptop (मात्र कानूनगो एवं अमीन के लिए लागू) (6) Original Voucher of Mobile (मात्र कानूनगो एवं अमीन के लिए लागू) भी नवनियोजित द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा जिसे प्राप्त करने की जिम्मेदारी कर्मी/सहायक सं0–2 की जायेगी।

(C) कर्मी/सहायक संख्या–01 द्वारा मूल प्रमाण पत्रों से मिलान पश्चात एवं सभी कागजात प्राप्ति पश्चात इस आशय का इंद्राज दिये गये प्रपत्र Checklist for Verification of documents with originals करेंगे। उक्त प्रपत्र पर कर्मियों के अतिरिक्त नवनियोजित भी पूर्ण हस्ताक्षर करेंगे।

(D) निवनियोजितों द्वारा Applicants Detail Form For Personnel Management System भी विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जायेगा।

(E) अपूर्ण रूप से कागजात उपलब्ध कराये जाने तथा मूल प्रमाण पत्र जाँच हेतु उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में उन नवनियोजितों के योगदान की स्वीकृति उनके द्वारा अपेक्षित कागजात निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराये जाने पर ही होगा। कागजात उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में उनकी नियोजन रद्द कर दिया जायेगा।

17. जिन नवनियोजित कर्मियों द्वारा निर्धारित तिथि को योगदान नहीं दिया जाता है, उनके लिए दिनांक– 27.07.2020 के पश्चात् अलग से योगदान हेतु तिथि निर्धारित की जाएगी। योगदान हेतु पूर्व से निर्धारित तिथियों को, जिनके लिए तिथि निर्धारित है मात्र उन्हीं का योगदान स्वीकार किया जाएगा।

(जय सिंह) 29/6/20
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

**ज्ञापांक** :– 17– नियोजन (भर्त्ती कोषांग)– 82/2020 10091 **पटना, दिनांक** :– 30-06-2020

**प्रतिलिपि** :– सभी नवचयनित विशेष सर्वेक्षण कानूनगो एवं विशेष सर्वेक्षण अमीन को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

**ज्ञापांक** :– 17– नियोजन (भर्त्ती कोषांग)– 82/2020 10091 **पटना, दिनांक** :– 30-06-2020

**प्रतिलिपि** :– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

**ज्ञापांक** :– 17– नियोजन (भर्त्ती कोषांग)– 82/2020 10091 **पटना, दिनांक** :– 30-06-2020

**प्रतिलिपिः–** अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
29/6/20